

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी 2010—माघ 29, शक 1931

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. एफ-1-26-2006-3-1-पचपन.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:—

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा संवर्ग सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006,”

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006,

अनुसूची (नियम 5) कॉलम-3 में अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे, अर्थात्:—

“आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक उपाधि जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदत्त हो तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से मान्यता प्राप्त हो या किसी बोर्ड अथवा परिषद् द्वारा प्रदत्त चार वर्षीय पत्रोपाधि (डी.एच.एम.एस.) जो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा परिषद्/बोर्ड से रजिस्ट्रेशन”

टीप.— आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक इन्टर्नशिप पूर्ण करना आवश्यक होगा.

No. F-1-26-2006-3-I-LV.—In exercise of the powers conferred by the provision of Article 309 of the Constitution of India, Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment to the notification dated 26th November 2009 of the Madhya Pradesh Ayurved/Homeopathy/Unani/Medical Officer Cadre Contract Service (Appointment and Condition of Service) Rules, 2006 of the department of Medical Education, Madhya Pradesh, namely:—

In Place of

“In exercise of the powers conferred by the provision of Article 309 of the Constitution of India, Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment to the notification dated 26th November 2009 of the Madhya Pradesh Ayurved/Homeopathy/Unani/Medical Cadre Service (Appointment and Condition of Service) Rules, 2006”

be read as follows:—

In exercise of the powers conferred by the provision of Article 309 of the Constitution of India, Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment to the notification dated 26th November 2009 of the Madhya Pradesh Ayurved/Homeopathy/Unani/Medical Officer Cadre Contract Service (Appointment and Condition of Service) Rules, 2006”

In Place of entry in the SCHEDULE (Rule 5) column 3 read as namely:—

“A Bachelor degree in Ayurved/Homeopathy/Unani System of medicine from any university established by law & recognized by CCIM (Central Council of Indian Medicine)/CCH (Central Council of Homoeopathy) or four year diploma (D. H. M. S.) awarded by any board/council recognized by CCH (Central Council of Homoeopathy) & registered under Ayurved/Homeopathy/Unani council/board established by law”

Note.—It is necessary that internship should be completed on the date of submission of application.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु हाण्डा, सचिव.